ISSN 2348-3857

भ्रष्टाचार की अवधारणा एवं प्रतिमान

महेश कुमार रचियता

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान

डॉ. बी.आर.ए. राज. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

शोध सारांश

भ्रष्टाचार आज के समय का सबसे ज्यादा चर्चित एवं विश्लेषण का विषय है। यह एक ऐसी भयानक समस्या है जिसका कारण बढ़ती भोग विलासिता एवं स्व केन्द्रित सोच है। यह समस्या समस्त व्यवस्था में दीमक की तरह लग चुकी है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसके विविध रूपों एवं भारत सहित अनेक देशों में इसकी व्याप्तता को विश्लेषित कर इस समस्या को विभिन्न रूपों जैसे - रिश्वत, सिफारिश, परिवारवाद अनैतिक आचरण, अयोग्य को पदासीन करना आदि बुराईयों की एक मात्र जड़ भ्रष्टाचार है। इस लेख से मेरा यही उद्देश्य है कि हम सब इसकी भयानकता से परिचित होवें और यह महसूस करें कि समाज किस ओर जा रहा है और किस ओर जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, सन् 1948 में, महात्मा गाँधी द्वारा की गई यह टिप्पणी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि, ''**भ्रष्टाचार जैसे मसलों के प्रति उदासीन रहना अपराध है।**'' महात्मा गाँधी का उक्त कथन भ्रष्टाचार के प्रति उनके गम्भीर दृष्टिकोण एवं सहृदय की वेदना को अभिव्यक्त करता है, अतएव यह एक विचारणीय तथ्य है। अनुभव से यह परिलक्षित होता है कि सार्वजनिक जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार को व्यापक अर्थो में समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक एवं राजनीतिक आदि सन्दर्भो को ध्यान में रखते हुए इसके आशय और परिधि को ढूँढ़ने का प्रयास करना ज्यादा समीचीन होगा।

भ्रष्टाचार का शाब्दिक आशय

भ्रष्टाचार का शाब्दिक आशय है - भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट-व्यवहार। यह सर्वविदित है कि समाज और शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान सुस्थापित हैं। उसमें नैतिकता, कर्त्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किए जा सकते हैं। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परम्पराओं पर आधारित हैं। समाज रूपी व्यवस्था की सुदृढ़ता इन पर ही निर्भर है। अतएव प्रत्येक समाज इनका पक्षधर है। ये प्रतिमान ही नैतिक आदर्शो के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनका पालन ही नैतिक आचार अथवा सदाचार है तथा उल्लंघन भ्रष्टाचार है। आशय यह है कि उपरोक्त मान्य एवं सुस्थापित नैतिक आदर्शो के विपरीत किए जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के द्योतक हैं। अनैतिकता, असहिष्णुता, कर्त्तव्य उपेक्षा एवं निजी हित के लिए पद एवं सत्ता का दुरूपयोग आदि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

भ्रष्टाचार-राजनीतिक सन्दर्भ में

राजनीतिक चिन्तन में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में, आज जो सामान्य-सी अवधारणा विकसित हुई है उसके अन्तर्गत यह माना जाने लगा है कि स्वहित की येन-केन-प्रकारेण पूर्ति की भावना राजनीतिक कार्यो का आधारभूत प्रेरणास्रोत है। मैकियावेली के दर्शन में 'हित-पोषण' का यह दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्वार्थ संदर्भित चिन्तन का एक पक्ष हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि हॉब्स जहाँ जन सामान्य के हित पर बल देते हुए उसकी पूर्ति के लिए लेबियाथन जैसे निरंकुश शासक की बात करता है, वहीं मैकियावेली प्रिंस (शासक) के स्वहित पर बल देता है। शासक के स्वहित का यह मैकियावेलियन दृष्टिकोण, जो वस्तुत: राज्य हित से जुड़कर आज की भारतीय राजनीति में राजनेताओं के व्यक्तिगत हित से जुड़कर हुआ है, भारतीय राजनीति का सर्वाधिक स्वीकार्य अंग बन चुका है। इसने सम्पूर्ण सरकारी मशीनरी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है तथा लोक सेवकों से लेकर राजनेताओं तक सभी ने इसका वरण भी कर लिया है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात

ISSN 2348-3857

है, सामान्यत:, व्यवहार में इसे निजी आर्थिक हित हेतु सरकारी पद के दुरूपयोग के रूप में देखा जाता है। पद का दुरूपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने को ही भ्रष्टाचार माना जाता है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तथा उसमें आम आदमी का जीवन शीघ्र प्रभावित होता है। इस तरह वह मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, जो अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित आर्थोपार्जन करता है। अतएव उपरोक्त सन्दर्भ में भ्रष्टाचार की एक सामान्य-सी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, कि किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है किसी व्यक्ति (राजनेता अथवा सरकारी अधिकारी) द्वारा अपने निजी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहा जाता है।

आज, सामान्यत: यह देखा जा रहा है कि सत्ता से जुड़े लोग जनता की सेवा की जगह निजी हितों की पूर्ति की भावना से प्रभावित हो चुके हैं। किसी भी प्रकार धन-प्राप्ति तथा अपने रक्त सम्बन्धों को आगे बढ़ाना उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। अपने इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित-अनुचित का विचार करना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। सत्ता के आकर्षण से प्रभावित ऐसे राजनेता अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समाज के अराजक तत्वों तथा अपराधियों से भी गठजोड़ करने में नहीं हिचकिचाते। परिणामत: धीरे-धीरे राजनीति अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है और इसका भयंकर अपराधीकरण हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप अपराध और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं। ये दोनों मिल कर ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। राजनेताओं द्वारा उत्तेजित करने पर आए-दिन खून-खराबे की घटनाएँ राजनीति का एक अंग बन चुकी हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, अथवा सत्ता प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त करना है। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण भी भ्रष्टाचार के अन्तर्गत माना जा सकता है। भारत में राजनीति और राजनेताओं के चरित्र में गिरावट अब आतंक और हिंसा के स्तर तक पहुँच चुकी है। सत्ता के लिए होने वाले निर्वाचनों में अनैतिक साधन अपनाकर चुनाव लड़ना अब आम बात हो गई है। अब तो इस बात से स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि राजनीतिज्ञों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए चुनाव में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध तो ऐसे आरोपों का अम्बार लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त चुनावों में झूठे वादे करके वोट प्राप्त करना, जनता के बीच धोती, साड़ी, कम्बल तथा शराब वितरित करवा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना तथा साथ ही साथ लोगों में पैसे बाँट कर वोट खरीदना गम्भीर भ्रष्टाचार है। यद्यपि राजनेता इसे राजनीति का एक अंग मानते हुए इसे 'राजनीतिक चातुर्य' कहते हैं, लेकिन वास्वत में यह भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं क्योंकि यह सारा खेल राजनेताओं द्वारा अपने पद सम्बन्धी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी हित के लिए खेला जाता है।

भ्रष्टाचार-वैधानिक आशय

भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-9 में भ्रष्टाचार को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें उपबन्धित धारा 161 प्रमुखत: लोक सेवकों में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है जिनकी परिधि में घूस अथवा रिश्वत और सहवर्ती अपराध, विधि विरुद्ध कार्य एवं लोक सेवकों के प्रतिरूपण सम्बन्धी कार्य आते हैं। धारा 161 में उपबन्धित है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा जो, ''कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याक्षा रखते हुए, वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी पारितोषण इस बात को करने के लिए हेतु या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल में या किसी लोक सेवक के यहाँ उसको वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे।'' यद्यपि भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त 161 से 165ए तक की धाराओं को अब समाप्त करके उसके स्थान पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 को प्रवर्तन में ला दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दी गई परिभाषा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 से भी उसी रूप में शामिल किया गया है।

वस्तुत: भ्रष्टाचार भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इस सीमा तक अपनी जड़े जमा चुका है कि कदम-कदम पर लोकतन्त्र के सिद्धान्तों एवं आदर्शो की अवहेलना की जाती है। सिद्धान्त के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रजातन्त्र की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखेंगे। संसद से यह आशा की जाती है कि वह कार्यपालिका को अनियन्त्रित होने से रोकेगी, न्यायपालिका से राज्य की सत्ता से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आशा की जाती है और संचार माध्यमों से सार्वजनिक जीवन में घूसखोरी तथा अन्याय को

रेखांकित करने की अपेक्षा की जाती है। यदि भारतीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो आवश्यक है कि ये कार्य पूरे किए जाएँ।

आज सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। सत्यनिष्ठा का नितान्त अभाव है। उत्तरदायित्व व सच्चरित्रता पूर्णत: लुप्त हो चुकी है। इस स्थिति को लगभग 50 वर्ष पूर्व महात्मा गाँधी ने विधिवत् भाँप लिया था और सम्भवत: इसीलिए उसी समय उन्होंने सदाचार को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपनाए जाने का परामर्श दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार के वर्चस्व को देखने की अपेक्षा वे पूरे संगठन का सम्मानजनक अन्त देखना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के ऊपर गाँधी जी की इस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वे जानते थे कि कांग्रेस का नाम भविष्य में उनके लिए वोट प्राप्त करके सत्ता के शिखर पर पहुँचने का एक अमोध अस्त्र होगा। परिणाम सामने है। गाँधी जी की आशंका आज मूर्त रूप ले चुकी है जो ऐसे प्रमुख राजनीतिक घोटालों के रूप में दिखाई पड़ रही है जो विगत के वर्षो में हुए, जिनमें कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेता लिप्त रहे हैं।

धन हमारी राजनीतिक व्यवस्था में आज सभी दुर्गुणों का स्रोत बन गया है। यह वह माध्यम है जो पूरे राजनीतिक तन्त्र को गम्भीरता से प्रभावित एवं विकृत कर रहा है। राजनीतिक तन्त्र में काले धन की सबसे बड़ी आपूर्ति बड़े और मध्यम वर्ग के व्यापारिक घरानों द्वारा जाती है जो दलों को पैसा देते हैं, क्योंकि यथा-स्थिति बनाए रखने में उनका हित है। उद्योग क्षेत्र ने राजनीतिक तन्त्र को भी सभी चुनावों में सभी राजनीतिक दलों को और अनेक स्थानीय दलों को पैसा देकर अपने गिरफ्त में ले लिया है। लाइसेंस-कोटा परमिट राज और प्रत्येक दल के नेताओं द्वारा पैदा किए गए पैसे का परिणाम यह हुआ कि चुनावों में भारी पैसा लगाया जाने लगा। राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बने अनैतिक माध्यमों से एवं साधनों से अवैध धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ने अब संस्थागत रूप धारण कर लिया है। उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। लूट और अपराध, जो निम्न स्तर पर आरम्भ हुए थे, वे अब नई दिल्ली, मुम्बई और अन्य प्रमुख राज्यों की राजधानियों में उच्च स्तर पर बढ़कर विशालकाय राक्षस की तरह हो गए हैं। इस सन्दर्भ में श्री टी. एन. शेषन की यह उक्ति सारगर्भित प्रतीत होती है, ''मुझे एक घटना की याद आती है जिसमें कुछ वर्ष पूर्व केन्द्र के मंत्रिमण्डल के एक मन्त्री का हाथ था। अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक फाइल आई जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय (फेरा) के उल्लंघन के अपराध के आधार पर एक बड़ी कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का सुझाव था। यह मामला प्रधानमंत्री तक जाना था क्योंकि इसमें एक प्रमुख प्रभावशाली व्यापारिक घराना फँस रहा था। यह प्रधानमंत्री तक कभी नहीं पहुँचा। इसके स्थान पर मन्त्री ने फाइल पर टिप्पणी लिख दी कि प्रधानमंत्री ने इसे देख लिया है और उन्होंने मुकदमा न चलाने का निर्णय दिया। मन्त्री विमान से मुम्बई गए और औद्योगिक घराने से अपनी इस सहायता के प्रतिफल में भारी धनराशि प्राप्त की। अनेक महीनों बाद प्रधानमंत्री का सन्देश उद्योगपति के पास गया कि वे चुनाव के लिए चन्दा..... हैं। व्यापारी ने बाद में प्रधानमंत्री से मिलकर बताया, ''सर, अब मैं पैसा कैसे दे सकता हूँ.....? आपने जब मेरी फाइल निकाली थी तो पैसा मन्त्री जी पहले ही ले आए थे।'' प्रधानमंत्री चकित रह गए कौन-सी फाइल आपके सम्बन्ध में मैंने तो कोई फाइल नहीं देखी।

इस प्रकार उपरोक्त दृष्टान्त से स्पष्ट है कि धन के लोभ ने राजनीतिक तन्त्र के वरिष्ठ सदस्यों को किस सीमा तक अनैतिक और भ्रष्ट बना रखा है। स्व आर्थिक हित के लिए अपने पद के दुरुपयोग की बात क्या की जाए प्रधानमंत्री तक को भ्रम में डालकर, उनके नाम पर ही सत्ता का दुरुपयोग करने की घटनाएँ अब असामान्य नहीं रह गई हैं। अब तो यह सामान्य-सी परम्परा बन चुकी है कि राजनीतिज्ञ विधिवत् बिचौलियापन के कार्य में संलग्न है और धन लेकर उसका अंशदान सम्बन्धित अधिकारी/राजनीतिक पदाधिकारी को देकर कार्य सम्पन्न कराने में संलिप्त देखे जा रहे हैं। इसमें इन्हें समाज हित में कार्य करने का सम्मान नजर आता है।

उक्त पंक्तियों में इस तथ्य पर प्रकाश डालने का विनीत प्रयास किया गया है कि आज अनैतिकता भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है और अनैतिक मूल्य राजनीतिक क्षेत्र में व्यापकता के साथ स्वीकार्य हो चुके हैं। उदाहरणस्वरूप भाई-भतीजावाद जो कि, भारतवर्ष में राजनीतिज्ञों के एक प्रबल वर्ग द्वारा आलोचना का बिन्दु बना हुआ है, अमेरिका तथा कुछेक यूरोपीय राज्य, जैसे-ब्रिटेन आदि में राजनीति के स्वीकार्य अंग के रूप में स्थापित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो इसे 'लूट-पद्धति' के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिसमें नियुक्तियाँ पक्षपोषण पर आधारित होती रही हैं और प्रमुख राजनीतिक एवं प्रशासकीय नियुक्तियाँ राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रपति उच्च पदों पर पुरस्कार अथवा व्यक्तिगत अनुग्रह के रूप में उच्च पदों पर ऐसे ही लोगों को नियुक्त करता है जो उसके करीबी होते हैं, उसके पक्ष के होते हैं अथवा निर्वाचनों में उसे पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। इस लूट-पद्धति का पक्ष-पोषण भूतपूर्व राष्ट्रपति जैक्सन ने सन् 1829 में कांग्रेस को भेजे गए प्रथम वार्षिक सन्देश में बड़ी निपुणता से किया था।

ISSN 2348-3857

भारत वर्ष में भाई-भतीजावाद के पक्ष पोषण करने वालों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब तक पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सदस्य को, जो कि सुविधाविहीन है, उसके किसी सम्बन्धी अथवा उसी जाति के अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक वे अपने से ज्यादा सुविधा एवं साधन सम्पन्न प्रतियोगियों के रहते कोई अच्छा पद कैसे प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय राजनीति में तो इस धारणा ने एक आम समर्थन और वैधानिक स्थिति भी प्राप्त कर ली है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में मंत्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने सगे-सम्बन्धियों अथवा जाति के लोगों की नियुक्तियों को वरीयता दी जाती है, लेकिन कभी भी उनका यह आचरण गम्भीर बहस का मुद्दा नहीं बन पाता और न ही जनमानस में उत्तेजना का संचार करता है। सामान्य जनता इसके प्रति उदासीन-सी लगती है; और अब तो आम लोगों ने भी सम्प्रदाय तथा रक्त सम्बन्धों को भुनाना प्रारम्भ कर दिया है। अच्छा संकेत है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस भाई-भतीजावाद की भर्ती प्रणाली को सिरे से खारिज किया है।

भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जब कोई मन्त्री जो कि नौकरियों में नियुक्ति के सन्दर्भ में हरिजनों के प्रति अथवा किस अन्य जाति अथवा वर्ग के मन्त्री अपनी जाति अथवा वर्ग के लोगों का खुलेआम पक्ष लेता है उसके इस आचरण के लिए उसके विरुद्ध भ्रष्टचार के आरोप नहीं लगते बल्कि इसके विपरीत उसे इसका तात्कालिक लाभ मिलता है। वह अपनी जाति एवं बिरादरी का 'नायक' बन जाता है तथा आने वाले दिनों में वह मन्त्री परिषद् में और भी सशक्त पद का दावेदार बन जाता है। एक दृष्टान्त के रूप में यह भी देखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव लड़कर जनता के द्वारा पुरस्कृत होकर संसद सदस्य बन गया। वर्तमान में यह भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश राज्यपाल का पद ग्रहण करता है जो कि किसी भी दृष्टि से नैतिक नहीं है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया से वह हर भारतीय वाकिफ है जो भारत के संविधान का व्यवहारिक ज्ञान रखता है।

अन्य देशों में भ्रष्टाचार

वैसे भारत ही मात्र ऐसा देश नहीं है जो भ्रष्टाचार के संकट के दौर से गुजर रहा हो, बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी भ्रष्टाचार की समस्या के रूबरू होना पड़ रहा है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भ्रष्टाचार के विस्फोट से उद्वेलित है। कुछ वर्ष पूर्व कागजी रजिस्टर्ड फर्मो द्वारा बैंक की एल.सी. (लेटर ऑफ क्रेडिट) गारंटी व्यवस्था का लाभ उठाकर लगभग एक सौ अठ्ठासी करोड़ नेपाली रुपए की विदेशी मुद्रा के गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद से ही वहाँ की राजनीति में तूफान आ गया। जिसमें कम्युनिष्ट नेताओं के साथ ही गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा अन्य प्रमुख राजनेताओं के ऊपर भी शंका की उंगलियाँ उठाई जा चुकी है।

भ्रष्टाचार से इंग्लैण्ड जैसा जनतान्त्रिक देश भी अछूता नहीं रहा है। ट्यूडर वंश के शासनकाल में भ्रष्टाचार का ग्राफ तेजी से ऊपर उठा। इस दौरान संसद के सदस्यों के भ्रष्टाचार पनपने के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। बाद में सन् 1660 में स्टूअर्ट वंश के शासक द्वारा सत्ता सँभालने के बाद उसके सहयोगियों तथा विरोधियों द्वारा अपने हित सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों से संसद की गरिमा और भी अधिक प्रभावित हुई। बाद के दिनों में वहाँ चुनावों में व्यापक भ्रष्टाचार देखा गया जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक चलता रहा। यह देखा गया कि इस दौरान संसद की अधिकांश सीटों पर प्रभावशाली लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवैध तथा अनैतिक तरीके अपनाकर कैंजा करने की होड़-सी लगी रही। बाद में भ्रष्टाचार का नियंत्रित करने के लिए उपाए अपनाए गए जिसमें Refrom Act of 1832, 1867 - Desraelis Reform Law का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 1884 में ग्लैडस्टोन ने भी चुनाव सुधार के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए। चुनावों को सही ढंग से संचालित करने के लिए सन् 1883 में The Corrupt and Elligal Practices अधिनियमित किया जिसके द्वारा चुनावों में होने वाले अनियंत्रित खर्चो पर प्रतिबंध लगाए गए, उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया। लेकिन अभी भी वहाँ अनेकों कमियाँ विद्यमान हैं। आज भी वहाँ पार्टी संगठन द्वारा अपने खर्चो का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है और पार्टी को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक धनराशियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, उसके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ लोगों में भौतिक सुविधाओं के प्रति बढ़ती हुई लालसा और बहुरंगी संघीय व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। प्रारम्भ में जार्ज वाशिगंटन ने राष्ट्रीय प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने का ईमानदारी से प्रयास किया था, लेकिन फिर भी उसे तमाम् दुष्प्रवृत्तियों से बचाया नहीं जा सका। राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में गैरीमेण्डरिंग में दुष्प्रथा को व्यापक रूप से बढ़ावा मिला, सन् 1795 में (अमेरिका के अस्तित्व में आने के

तुरन्त बाद) मजुलैण्ड धोखाधड़ी मामला प्रकाश में आया, संयुक्त राज्य के 'Second Bank' में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर चर्चा में हुई, राष्ट्रपति ग्रैण्ट की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सन् 1920 में हार्डिंग के शासन काल तक राजनीतिक भ्रष्टाचार का सिलसिला चलता रहा। निक्सन के शासनकाल में उजागर हुए वाटरग्रेट कांड को कौन भूल सकता है, जिसको लेकर उनके विरुद्ध महाभियोग लगाए जाने की पूरी (व्यवस्था) हो चुकी थी और जिसका सामना न कर सकने की स्थिति में उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र भी देना पड़ा। राष्ट्रपति जेफर्सन बिल क्लिंटन का मोनिका लेक्स्की प्रकरण अभी भी लोगों की जुबान पर है। समय-समय पर शासन एवं प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में भी प्रयास किए गए हैं। Federal, Corrupt Pratices Act 1890 इस दिशा में एक सतत् प्रयास के रूप में दिखाई पड़ता है जिसके द्वारा देश के चुनावों में होने वाले अनियन्त्रित खर्चों पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। Federal Corrupt Practices Act, 1925 में उपरोक्त व्यवस्था में कुछ और संशोधन किए गए। इसके अतिरिक्त 1939 का (जिसे बाद में 1940 में संशोधित किया गया) द्वारा भी चुनावों में होने वाली आर्थिक अनियमितताओं पर अकुंश लगाने का प्रयास किया गया। सन् 1971 में निर्मित Revenue Act तथा 1972 का Federal Election Campaign Act में यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव में होने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान प्राप्त अपनी सभी आमदनियों तथा खर्चो का विस्तृत विवरण शासन को प्रस्तुत करना होगा। फिर भी इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका आज भी भ्रष्टाचार अन्वेषक एन्टोनियों गौडिनों ने सोसलिस्ट पार्टी के स्थानीय संचालकों को धन देने का मामला पकड़ा। दुर्भाग्य से सोसलिस्ट सांसदों ने इन्हें क्षमादान दे दिया। लेकिन गौडिनों ने चुप रहने के बजाय एक किताब लिखकर मामले को प्रचारित किया। परिणामस्वरूप न्यायिक अधिकारियों को थियेरी-जिन-पियरे नाम के एक न्यायाधीश के जिम्मे जाँच कार्य सौंपना पड़ा। इस केस में वहाँ के अनेक कैबिनेट मन्त्री तथा राष्ट्रपति पद के दो दावेदार तथा लायन्स के पूर्व कोषाध्यक्ष हेनरी एमेन्यूल्ही भी शामिल हैं।

दक्षिण कोरिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। सन् 1996 में दो पूर्व राष्ट्रपतियों को भ्रष्टाचार एवं राजद्रोह के लिए दण्डित किया गया। इनमें से एक चुन-टू-वान को मौत तथा रोंह-ताई-बू को साढ़े बाईस वर्ष का सश्रम कारावास तथा दोनों को क्रमश: सत्ताइस करोड़ आठ लाख एवं चौंतीस करोड़ सत्तर लाख डालर के जुर्माने की सजा दी गई। इन दोनों पर समान रूप से लाखों डालर रिश्वत (लगभग जुर्माने के समान राशि) लेकर व्यापारियों को अवैध लाभ पहुँचाने तथा सन् 1980 में सरकार विरोधी आन्दोलनकारियों पर गोली चलवाकर उन्हें मौत के घाट उतारने (लगभग 240 लोग मारे गए थे) का आरोप था।

भ्रष्टाचार के मामले में इटली भी खासा चर्चित रहा है, वहाँ सत्ता प्रतिष्ठानों से जुड़े लगभग तीन हजार राजनेता एवं व्यवसायी जिसमें तीन पूर्व समाजवादी प्रधानमंत्री शामिल हैं, विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं। इनमें एक हैं पूर्व समाजवादी प्रधानमन्त्री, वेटिनी आठ साल कैद की सजा मिली है। यद्यपि वह इटली के सबसे बड़े बचत बैंक से पेंशन फंड मामले में घूस लेने के आरोप में बरी हो गए हैं, परन्तु दो मामलों में उन्हें दोषी माना जा चुका है। क्रैक्सी जेल जाने के भय से 1994 में ही ट्यूनिशिया भाग गए जहाँ बीमारी के कारण उनकी हालत खराब बताई जा रही है। उधर सात बार प्रधानमन्त्री रह चुके आंद्रेओरली पर माफियाओं से खतरनाक साँठ-गाँठ का मुकदमा चल रहा है। आश्चर्य यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ होने के बाद स्वच्छता का नारा दे कर प्रधानमन्त्री पद तक पहुँचे, फोर्जा इटालिया पार्टी के नेता सिल्वियो बेर्लुस्कोरी भी अन्तत: भ्रष्टाचार का ही ग्रास बने। उन पर टैक्स इन्सपेक्टरों को घूस देकर अपनी वित्तीय कम्पनी के पक्ष में अंकेक्षण कराने सम्बन्धी मामला चल रहा है। अफ्रीकी देशों में केन्या का मामला अभी सबसे ऊपर है। केन्या के सेन्ट्रल बैंक से विलुप्त हुए तीस करोड़ डालर की अप्रत्याशित घटना से शुरू में भ्रष्टाचार उजागर होने की कड़ी देशव्यापी होती जा रही है। इस कड़ी का सबसे भयानक हिस्सा बदरगाह सूचनाएँ सामने आ रही हैं।

लैटिनी अमेरिका देशों में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नाडो दो काल्र द मेल्लो को दिसम्बर 1992 में ऐसे ही आरोपों के कारण पद त्यागना पड़ा था। उन पर भी अपने चुनाव अभियान में अवैध धन का उपयोग तथा लाखों डालर घूस लेने का आरोप था। यह बात अलग है कि इन गतिविधियों का दोष केवल उसके चुनाव अभियान के कोष संकलनकर्ता पाउलो सीजर फारीयस के मत्थे चढ़ा एवं वही जेल में सजा काट रहे हैं। इसी प्रकार वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति जैमें लुसिचि अपना निर्वासन समाप्त कर अभी कुछ ही वर्ष पूर्व स्वदेश लौटे हैं। उन पर भी सार्वजनिक कोष से भारी धन गायब करने का आरोप था। अपने विरुद्ध उठे आक्रोश के भय से यह कोस्टरिका भाग गए थे, किन्तु यह मामला पाँच साल पहले का था और वेनेजुएलायी कानून के अनुसार पाँच साल बीत जाने के बाद किसी मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। वास्तव में कानून की इसी कमजोरी का लाभ उन्हें मिला, बावजूद इसके उनके उत्तराधिकारी कार्लोस पैरेज एक करोड़ सत्तर लाख डालर सार्वजनिक धन गबन के आरोप सम्बन्धी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उधर एक्वेडोर के पूर्व उप राष्ट्रपति अलवर्टो दाहिक पर भी

सार्वजनिक धन का अपने हित में दुरुपयोग करने का मामला चल रहा है। वे अभी कोस्टारिका में शरण लिए हुए हैं।

दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला कम्युनिस्ट देश चीन भी अपने आप को इसके संक्रमण से बचा नहीं पाया है। यद्यपि अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप में केवल एक शीर्ष राजनेता चेनझियांग को ही पोलित-ब्यूरो से बर्खास्त किया गया है, परन्तु कम्युस्टि नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सम्पत्तियों को बटोरने के विरुद्ध जनमानस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज चीन की स्थिति यह है कि कोई भी शीर्षस्थ राजनेता भ्रष्टाचार रूपी बारूदी ढेरों पर हाथ इसलिए नहीं डालना चाहता क्योंकि इनके विस्फोटों में अनेक नेताओं, अधिकारियों एवं उनके रिश्तेदारों के परखच्चे उड़ जाएँगे। जाहिर है कि तब देश में जो माहौल बनेगा उस मौजूदा एकीकृत व्यवस्था में सँभालना सम्भव नहीं होगा। मार्क्स और लेनिन ने धन और सत्ता के प्रति लगाव, शोषण तथा अमीर और गरीब के बीच खाई का दोष व्यक्तिगत पूँजीवादी के मत्थे मढ़ दिया था। यदि उन्होंने इतनी लम्बी आयु पाई होती कि वे राज्य पूँजीवादी अथवा सामुदायिक पूँजीवाद के उन सिद्धान्तों के अनुसार (जिसकी नींव स्वयं उन्होंने ही डाली थी और जिन्हें साम्यवादी शब्दावली में समाजवाद कहा जाता है।) शासित, पूर्व सोवियत संघ, चीन क्यूबा और उत्तरी कोरिया जैसे देशों में हो रहे भ्रष्टाचार की घटनाओं को अपनी आँखों से देख पाते, तो निश्चय ही सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की उस धारणा के प्रति उनका मोह भंग हो जाता, जिसने स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेझनेव और बाद के अन्य भ्रष्ट शासकों के हाथों में व्यक्तिगत तानाशाही का रूप ले लिया। सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार ने जनता को इस कदर आक्रोशित कर दिया कि इसने कम्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया जो बाद में चलकर सोवियत संघ के विघटन का कारण बना।

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भ्रष्टाचार के ड्रेगन के पंजों में बुरी तरह फँसे दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ चारों तरफ से सत्ता के शीर्ष की ओर उंगलियाँ उठी हुई हैं। पाकिस्तान में भूतपूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक सभी अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ अपने विद्रूप होते हुए चेहरे को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति फारूख लेघारी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को अपदस्थ किए जाने के पीछे भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा था।

बांग्लादेश में खालिदा जिया अपने देश की राजनीति में पति के प्रति जनता में उमड़ी सहानुभूति की भावना के कारण उभर कर सामने आई थी। लेकिन अनुभवहीनता के कारण देश की समस्याओं का समाधान करने में असफल सिद्ध हुई। बाद में वह अपने कुछ लोगों के लिए ही कार्य करने लगी। उनके लोगों ने जी भरकर हर तरफ से धन इकट्ठा किया और उनके इस कृत्य को अपने प्रति वफादारी की कीमत मानती रही।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल, यू.सी., प्रशासनिक भ्रष्टाचार (एक लेख), पॉलिटिक्स इण्डिया, नवम्बर 1998, पृष्ठ-25
2. अग्रवाल, यू.सी., प्रशासनिक भ्रष्टाचार (लेख), पॉलिटिक्स इंडिया, पृ. 25
3. अवस्थी एवं माहेश्वरी, लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2000, पृ. 239
4. नैय्यर, कुलदीप, उप महादीप भ्रष्टाचार की लपेट में, (एक लेख), दैनिक जागरण, 1 जनवरी, 1997, पृ. 6
5. डोविंग, आर.एम., रियलीज्म एंड सेल्फ इन्टेस्ट एज पोलिटीकली थीम्स, (लेख) दि मोरेलिटी ऑफ पोलटिक्स; भीकू पारिख एंड आर.एन. बरकी; (संलग्नकर्ता); जार्ज एलेन एंड यूनिविन लिमिटेड; रस्किन हाऊस, म्यूजियम स्ट्रीट, 1972, पृ. 52
6. शेषन, टी.एन., भारत पतन की ओर, राजपाल एंड संस, नई दिल्ली, 1995, पृ. 19
7. रामकिशन बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली ए.आई.आर. 1956; एस.सी. 476
8. राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप अंक, 21 सितम्बर, 1996 पृ. 2
9. श्रीवास्तव, पी. बालेश्वरी, नैतिकता, राजनीति और भारत, (एक लेख), पॉलिटिक्स इण्डिया, नवम्बर 1998, पृ. 39
10. भार्गवा, जी.एस., पोलिटीकल करप्सन इन इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ-2 भार्गवा, जी.एस., करप्सन पॉलिटीकल इन इंडिया, पापुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, पृ. 1
11. लिमये, मधु, समस्याएँ और विकल्प, समता पुस्तक माला, नई दिल्ली 1983, पृ. 31
12. सिंह, खुशवन्त (संपादक), पॉलिटिक्स इंडिया, नवम्बर 1998, पी.वी. इंदरसेन, ''भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष' (एक लेख), पृ. 19
13. मित्तल नेमीशरण, विश्व प्रसिद्ध भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, फेमिली बुक्स प्रा.लि., नई दिल्ली, पृ. 64 से 68
14. मित्र, चन्दन, द करप्ट सोसायटी, पेंगुविन बुक्स इंडिया, प्रा.लि. नई दिल्ली, 1998, पृ. 8-9
15. मुथम्मा; सी.बी., भ्रष्टाचार के सुधार की आवश्यकता (लेख), पॉलिटिक्स इंडिया, नवम्बर 1998, पृ. 32
16. माहेश्वरी, एम.आर., भ्रष्टाचार, समाज का कैंसर (लेख) पॉलिटिक्स इंडिया, पृ. 16
17. कन्साइज आक्सफोर्ड शब्दकोश, पृ. 45
18. इन्दरसेन, पी.वी. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष (लेख), पॉलिटिक्स इंडिया, पृ. 20
19. धर्मयुग, अगस्त 16, 1994, पृ. 12 सितम्बर 1995, पृ. 20